

/148693/2023

CE(P)/AAO

ई० फाईल संख्या-47302

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 15 अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा-भीमताल में 06 निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रांक, लोक निर्माण विभाग, हलद्वानी द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों (प्रथम चरण), जिनके अंतर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 21.00 कि०मी० तथा 1 पैदल पुल 45मी० स्पांन एवं लागत ₹418.73 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹37.80 लाख (सैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति कार्य व्यय हेतु ₹0.10 लाख (दस हजार मात्र) अर्थात् 06 कार्य हेतु कुल ₹0.60 लाख (साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- भीमताल के अंतर्गत विकासखण्ड ओखलकाण्डा में खुटानी-भवाली-धानाचूली-खनस्यू-पतलोटे-मीडार-तामली (रा०मा०सं०-64) मोटर मार्ग के कि०मी० 79 हैड़ाखान से रीठालमगड़ा-तल्ला खेत-बेडूखेत-शिवालय होते हुए मेहराखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5.00	7.50	0.10
2	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में ढोलीगांव कोटपाण्डे मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से तल्ली डनसीली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	6.00	9.00	0.10
3	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- भीमताल के अंतर्गत विकासखण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम वरमधार के तोक अण्डोला में जूनीयर हाईस्कूल रैकुना के पास गौला नदी पर	45.00	6.30	0.10

जी.पी.ओ.
CE 6/9/23महोदय,
पुनरा 5502
के माहोदय
4/9/23

27070

SSO(PRI)
Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun27070-18
5/9/23

/148698/2023

	पैदल पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)			
4	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- भीमताल के विकासखण्ड ओखलकाण्डा में कुण्डल भोलापुर मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 राजकीय इण्टर कालेज भोलापुर से शिव मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1.00	1.50	0.10
5	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- भीमताल में बूड़ाधुरा से मलवुवाताल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	7.50	0.10
6	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- भीमताल के विकासखण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम दिगोली के बुडसिम से झिरखोला होते हुए दिगोली गांव सेरा की ओर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	6.00	0.10
	योग-	21.00+ 45.00 मी० स्पान	37.80	0.60

रैंसाठ हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/ III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290 XXVII(7)/2012 वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा.वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा.पि.)) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाये।
- आगणन के अन्तर्गत किसी मद की पुनरावृत्ति न हो व आगे इस कार्य हेतु भेजे जाने वाला आगणन सभी भागों को संकलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन के रूप में गठित कर प्रेषित किया जाये, जिससे कि कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

- vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- x. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/ XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- xiii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xiv. उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन शासनादेश सं0-383/ III(1)19-190 (PWD) 01टी.सी. II, दिनांक 05-02-2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0202 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जेनरेटेड संख्या-I/148199/2023, दिनांक 21 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh

Date: 23-08-2023 13:13:00

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/148698/2023

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23080220062

आवंटन पत्र दिनांक-29-AUG-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					4240000	60000	0	4300000				
योग					4240000	60000	0	4300000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.60,000 (Rupees Sixty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 980 /20 याता0'क' /2023

दिनांक- 08 .09.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून